न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–33 / 2020–21

ललिता देवी .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदिका ललिता देवी, पति– दिनेश महतो, साकिन– औंरा, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **170 R27/2018-19** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
औंरा	252	247	4803	3.5 डी0
औंरा	252	247	4803	3.5 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **170 R27/2018-19** में दिनांक 20.06.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से संबंधित खतियान की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **170 R27/2018-19** में दिनांक 20.06.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

18/11/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

18/11/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)